पत्र संख्या–7/मुक–08–1/2015 (खंड–II) सा0प्र0 588

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महानिबंधक,
उच्च न्यायालय, पटना।
सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सभी जिला एवं सत्र न्यायाधिश।

पटना–15, दिनांक 17.1.17

विषय :– **बिहार उच्च न्यायिक सेवा एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) के पदों पर सीधी नियुक्ति में किये गए आरक्षण के आलोक में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण एवं महिलाओं के लिए क्रमशः 35 एवं अस्थि विकलांग के लिए 1 (एक) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया निर्धारित करने के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–17282 दिनांक–28.12.2016 एवं अधिसूचना संख्या–17283 दिनांक–28.12 2016 के द्वारा क्रमशः बिहार उच्च न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2016 के अन्तर्गत न्यायिक सेवा के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु 50 प्रतिशत खुली गुणागुण कोटि से तथा 50 प्रतिशत आरक्षित कोटि से पद अनुमान्य कराये गए हैं। 50 प्रतिशत आरक्षित कोटि के तहत् अनुसूचित जाति के लिए–16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए–1 प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए–21 प्रतिशत एवं पिछड़ा वर्ग के लिए–12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही सभी वर्गों की महिलाओं हेतु 35 प्रतिशत एवं अस्थि विकलांगों के लिए 1 (एक) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सीधी भर्त्ती हेतु 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर तैयार कर इस परिपत्र के साथ परिशिष्ट–'क' के रूप में संलग्न किया जाता है।

2. नियमावली में प्रावधानित महिलाओं हेतु 35 (पैंतीस) प्रतिशत एवं अस्थि विकलांग हेतु 1 (एक) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के विरूद्ध चयन के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण क्रमवार निम्नवत् किया जा रहा है। इसे 100 पदों पर नियुक्ति के विरूद्ध चयन की प्रक्रिया के रूप में उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है :–

(क) सर्वप्रथम 50 प्रतिशत मेधा (मेरिट) के आधार पर चयन किया जायेगा। इसमें आरक्षित वर्ग/गैर आरक्षित वर्ग के सभी महिला एवं पुरूष अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं।

(ख) दूसरे चरण में आरक्षित वर्ग के 50 प्रतिशत पदों हेतु चयन किया जायेगा। इसमें 50 प्रतिशत के विरूद्ध आरक्षित वर्ग के सभी महिला एवं पुरूष अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं।

(ग) चयन के तीसरे चरण में इसकी गणना की जाएगी कि 100 पदों हेतु चयनित सूची में बिना 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के अलग–अलग आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में कितनी महिलाऐं चयनित हो पायी हैं। यदि उनका 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूरा हो गया हो, तो यह चयन सूची नियुक्ति हेतु अंतिम मानी जायेगी। यदि इस आधार पर महिलाओं का 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूर्ण नहीं होता है, तो जिस वर्ग विशेष (आरक्षित/गैर आरक्षित) में महिलाओं की संख्या में कमी होगी, उस कोटि में 35 प्रतिशत की सीमा तक इसे पूरा करने के लिए मेधाक्रम में न्यूनतम स्थान वाले पुरूष अभ्यर्थियों को उतनी संख्या में हटाया जायेगा, जिससे कि 35 प्रतिशत की महिलाओं की आरक्षण सीमा पूरी हो जाय। यदि न्यूनतम स्थान पर महिला अभ्यर्थी होगी, तो उन्हें न हटाकर मेधा क्रम में उनसे ऊपर वाले पुरूष अभ्यर्थी को हटाया जायेगा। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है :–

(21)

(i) प्रावधानानुसार गैर आरक्षित वर्ग में 50 का 35% = 17.50 अर्थात 18 पद महिलाओं को अनुमान्य कराया जायेगा, परन्तु यदि 10 महिलाएँ ही चयनित हो पाई हों, तो मेधा क्रम में नीचे से 8 (आठ) पुरूष अभ्यर्थियों को (महिलाओं को नहीं) हटाकर मेधा क्रम (Open merit category) के अनुसार 8 (आठ) महिला अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जायेगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति में 16 का 35% = 5.60 अर्थात 6 पद महिलाओं को अनुमान्य होगा, परन्तु यदि 4 (चार) महिलाएँ ही चयनित हो पाई हों, तो मेधा क्रम में नीचे से 2 (दो) पुरूष अभ्यर्थियों को (महिलाओं को नहीं) हटाकर 2 (दो) अनुसूचित जाति के महिला अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जायेगा। समरूप प्रक्रिया अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग में भी अपनायी जायेगी।

(ii) 50 प्रतिशत मेरिट तथा 50 प्रतिशत आरक्षित वर्ग के आधार पर नियमानुसार चयन सूची तैयार करने के उपरान्त महिलाओं की संख्या स्वतः 35 प्रतिशत से अधिक हो जाने की स्थिति में इसे यथावत् रखा जायेगा।

(iii) महिलाओं हेतु संदर्भित 35 प्रतिशत आरक्षण 50 प्रतिशत मेधा सूची तथा 50 प्रतिशत आरक्षित सूची अर्थात कुल–100 प्रतिशत के विरूद्ध दी जा रही है। यह संख्या 35 आती है, जिसके आधार पर गैर आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित वर्ग में से क्रमशः 18 एवं 17 पद अनुमान्य कराये जायेंगे।

(iv) न्यायिक सेवाओं में आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराये गए आरक्षण के अनुसार 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के आधार पर कर्णांकित रोस्टर बिन्दु भी परिशिष्ट–'क' में अंकित कर दिया गया है। इस नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित स्पष्टीकरण संलग्न परिशिष्ट–'ख' में अंकित किया गया है।

(v) उपर्युक्त निर्धारित नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने तक महिलाओं एवं विकलांग अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में रिक्त पदों को इसी समव्यवहार में क्रमशः पुरूष एवं गैर विकलांग अभ्यर्थियों से भर लिया जायेगा।

2. इस नियमावली के अनुसार 1 (एक) प्रतिशत अस्थि विकलांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह क्षैतिज आरक्षण विकलांगता आधारित होगा, आरक्षण कोटिवार नहीं होगा। 1 (एक) प्रतिशत इस क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत चयनित विकलांग अभ्यर्थी की गिनती संगत आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की गई मानी जायेगी, जिस कोटि से वे संबंध रखते होंगे।

विश्वासभाजन

17/1/17

(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7/मुक–08–1/2015 (खंड–II) सा0प्र0 588 **/पटना–15, दिनांक** 17.1.17

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना तथा ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को इस परिपत्र की दो प्रतियों एवं सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

17/1/17

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7/मुक–08–1/2015 (खंड–II) सा0प्र0 588 **/पटना–15, दिनांक** 17.1.17

प्रतिलिपि–सभी संबंधित प्राधिकार एवं आइ0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/1/17

सरकार के अपर सचिव।

परिशिष्ट–क

बिहार उच्च न्यायिक सेवा एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए 100 बिन्दुओं का आदर्श रोस्टर एवं महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लिए कर्णांकित रोस्टर बिन्दु :–

1. अनारक्षित	51. अनारक्षित
2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	52. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
3. अनारक्षित **(महिला)**	53. अनारक्षित
4. अनुसूचित जाति	54. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
5. अनारक्षित	**55.** अनारक्षित **(महिला)**
6. पिछड़ा वर्ग	56. अनुसूचित जाति
7. अनारक्षित	57. अनारक्षित
8. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(महिला)**	58. पिछड़ा वर्ग
9. अनारक्षित **(महिला)**	59. अनारक्षित
10. अनुसूचित जाति **(महिला)**	**60.** अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
11. अनारक्षित	**61.** अनारक्षित **(महिला)**
12. पिछड़ा वर्ग **(महिला)**	**62.** अनुसूचित जाति **(महिला)** –
13. अनारक्षित	63. अनारक्षित
14. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	**64.** पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
15. अनारक्षित **(महिला)**	65. अनारक्षित
16. अनुसूचित जाति	66. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
17. अनारक्षित	**67.** अनारक्षित **(महिला)**
18. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	68. अनुसूचित जाति
19. अनारक्षित	**69.** अनारक्षित **(महिला)**
20. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	70. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
21. अनारक्षित **(महिला)**	71. अनारक्षित
22. पिछड़ा वर्ग	72. पिछड़ा वर्ग
23. अनारक्षित	**73.** अनारक्षित **(महिला)**
24. अनुसूचित जाति **(महिला)**	74. अनुसूचित जाति
25. अनारक्षित	75. अनारक्षित
26. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(महिला)**	**76.** अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
27. अनारक्षित **(महिला)**	77. अनारक्षित
28. अनुसूचित जाति	**78.** अनुसूचित जाति. **(महिला)**
29. अनारक्षित	**79.** अनारक्षित **(महिला)**
30. पिछड़ा वर्ग	80. पिछड़ा वर्ग
31. अनारक्षित	81. अनारक्षित
32. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	82. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
33. अनारक्षित **(महिला)**	83. अनारक्षित
34. अनुसूचित जाति	84. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
35. अनारक्षित	**85.** अनारक्षित **(महिला)**
36. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	86. अनुसूचित जाति
37. अनारक्षित	87. अनारक्षित
38. पिछड़ा वर्ग **(महिला)**	88. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
39. अनारक्षित **(महिला)**	89. अनारक्षित
40. अनुसूचित जाति **(महिला)**	**90.** पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
41. अनारक्षित	**91.** अनारक्षित **(महिला)**
42. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(महिला)**	92. अनुसूचित जाति
43. अनारक्षित	93. अनारक्षित
44. अनुसूचित जनजाति	**94.** अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
45. अनारक्षित **(महिला)**	95. अनारक्षित
46. पिछड़ा वर्ग	96. पिछड़ा वर्ग
47. अनारक्षित	**97.** अनारक्षित **(महिला)**
48. अनुसूचित जाति	**98.** अनुसूचित जाति **(महिला)**
49. अनारक्षित **(महिला)**	99. अनारक्षित
50. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	**100.** अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(महिला)**

परिशिष्ट—'ख'

बिहार उच्च न्यायिक सेवा एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए महिलाओं के लिए 35 एवं 1 (एक) प्रतिशत अस्थि विकलांगों के लिए क्षैतिज आरक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण।

(i) रोस्टर बिन्दु–1 से 50 के बीच 9 तथा 51 से 100 के बीच 9 पद गैर आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए उपलब्ध कराया गया है।

(ii) गैर आरक्षित एवं आरक्षित श्रेणी में जो रोस्टर बिन्दु महिलाओं के लिए कर्णांकित नहीं दिखाये गए हैं, उन्हें मेरिट के आधार पर यथास्थिति पुरूष एवं महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए अनुमान्य कराया जा सकेगा।

(iii) उल्लेखनीय है कि 100 बिन्दुओं के आदर्श रोस्टर में अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र 01 बिन्दु अनुमान्य है। इसलिए प्रत्येक 300 रिक्त पदों में अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमान्य तीसरा पद (रोस्टर बिन्दु–244) अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित किया जा सकता है। जब अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए 01 पद अर्थात रोस्टर बिन्दु–244 आरक्षित किया जायेगा, वैसी स्थिति में गैर आरक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए मात्र 17 बिन्दु ही अनुमान्य किया जा सकता है, ताकि आरक्षण प्रतिशत अपरिवर्तित रहे।

(iv) अस्थि विकलांग उम्मीदवारों हेतु 1 (एक) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का आधार मात्र विकलांगता है, आरक्षण कोटि नहीं। अस्तु इस निमित्त कोई रोस्टर बिन्दु कर्णांकित नहीं किया गया है। रोस्टर बिन्दु–1 से 50 के बीच नियुक्ति की स्थिति में उपलब्धता के अनुसार 1 (एक) विकलांग उम्मीदवार की नियुक्ति कर ली जायेगी। ऐसी स्थिति में रोस्टर बिन्दु–51 से 100 के बीच विकलांग उम्मीदवार हेतु क्षैतिज आरक्षण देय नहीं होगा।

FILE PATH-D:/NAVLESH—soft.new